

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

टोरेन्ट गैस प्रा० लि० कानपुर द्वारा इटावा कानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०२ (नया राजमार्ग-१९) के किमी० ३४८.०० से ३२३.५५ तक दायीं पटरी पर सी०एन०जी० पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु १.४६२६५ हे० संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम- १९८० के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दि०-२७.०७.२०२० द्वारा ओ०एफ०सी० केविल बिछाये जाने हेतु, कोई भी वृक्ष प्रभावित न होने अथवा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी क्षेत्र सम्मिलित न होने की दशा में प्रस्तावक विभाग को छूट प्रदान की गयी है।

दिनांक-१५.०७.२०२२

स्थान-इटावा

C.S.

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा